



5962

विक्रय पत्र हेतु वांछित विवरण

1. मालियत विक्रयपत्र : रु. 5,87,296.00
2. बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया गया : रु. 5,88,000.00
3. स्टाम्प शुल्क : रु. 58,800.00
4. आवास विकास शुल्क : सहित
5. कुल स्टाम्प शुल्क देय : रु. 58,800.00
6. मुख्य क्षेत्र : नगर निगम क्षेत्र में
7. क्षेत्र : राजा रोड़, केन्द्रीय दून, देहरादून
8. सम्पत्ति : एक दुकान सम्पत्ति न० 22, भूतल पर स्थित 2 राजा रोड़, भट्ट शॉपिंग काम्पलैक्स, देहरादून जिसकी नाप 10फुट X 16 फुट है। जिसका कुल क्षेत्रफल 160 वर्गफुट यानि 14.86 वर्गमीटर है।
9. सम्पत्ति का प्रकार : व्यावसायिक
10. सर्किल रेट, क्रम संख्या सहित : रु. 6,500/- प्रति वर्ग मीटर
11. विक्रेता का नाम व पता : श्री मुश्तकीम अहमद, पुत्र मोहम्मद इस्माइल, नि० आजाद नगर, रायपुर रोड़, देहरादून।
12. क्रेता का नाम व पता : श्री विनोद कुमार वर्मा, पुत्र श्री लच्छी राम वर्मा, नि० 259/1, गुरुरोड़, पटेलनगर, नई बस्ती, देहरादून
13. कुल पृष्ठों की संख्या : वांछित विवरण व नक्शे सहित 15 पृष्ठ

12/0

विनोद कुमार



हरिष्ठ कोषाधिकारी

- 1 OCT 2004

कोषागार, देहरादून।

06AA 737551

विक्रय पत्र

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 01-10-2004 को स्थान देहरादून में श्री मुश्तकीम अहमद, पुत्र मोहम्मद इस्माइल, नि० आजाद नगर, रायपुर रोड़, देहरादून (जिसे एतदपश्चात् "विक्रेता" कहकर सम्बोधित किया गया है)

.....विक्रेता

के द्वारा

श्री विनोद कुमार वर्मा, पुत्र श्री लच्छी राम वर्मा, नि० 259/1, गुरुरोड़, पटेलनगर, नई बस्ती, देहरादून (जिसे एतदपश्चात् "क्रेता" कहकर सम्बोधित किया गया है) के पक्ष में निष्पादित किया जा रहा है

.....क्रेता

सदैव यह प्राविधान रहेगा कि जहाँ कहीं भी इस विलेख में शब्द "विक्रेता" एवं "क्रेता" प्रयुक्त हुए हैं वहाँ वहाँ "क्रेता" एवं "विक्रेता" शब्दों में उनके उत्तराधिकारी,

विनोद कुमार



बरिष्ठ कोषाधिकारी

1-1 OCT 2004

कोषागार, देहरादून।

06AA 737540

हितप्रतिनिधि, स्थानापन्न, विधिविहित प्रतिनिधि शामिल व पाबन्द होंगे।

जो कि विक्रेता निम्नलिखित सम्पत्ति, जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय पत्र के अन्त में दिया गया है, का स्वामी व अध्यासी है उक्त सम्पत्ति विक्रेता ने श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल पुत्र स्व० पी०एल० अग्रवाल नि० 26 चन्दर नगर, देहरादून से विक्रय पत्र दिनांक 23.12.98 द्वारा क्रय की थी जिसका पंजीयन सब-रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून में बही नं० 1 जिल्द नं० 1 पृष्ठ संख्या 294 एडी० बुक फा० नं० 1 जिल्द नं० 229 के पृष्ठ संख्या 779/804 में सिलसिला नं० 691 पर दिनांक 20/04/99 को हुआ था। श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने उक्त सम्पत्ति भट्ट कंसंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड देहरादून से विक्रय पत्र दिनांक 30 सितम्बर 1995 द्वारा क्रय की थी, जिसका रजिस्ट्रेशन सब-रजिस्ट्रार कार्यालय तृतीय में देहरादून में बही नं० 1 जिल्द नं० 1 पृष्ठ संख्या 2 एड० बुक फाईल नं० 1 जिल्द 1 के पृष्ठ 1063/1076 में सिलसिला नं० 73/95 पर दिनांक 12-10-95 को हुआ था। सूची में वर्णित दुकान सम्पत्ति में विक्रेता के अलावा अन्य कोई साझीदार या भागीदार नहीं है उक्त दुकान सम्पत्ति पर क्रय करने के दिन से विक्रेता का कब्जा व स्वामित्व उक्त दुकान सम्पत्ति

दिलीप कुमार



पर चला आ रहा है। उक्त दुकान सम्पत्ति हर प्रकार के भार बन्धन रहन इत्यादि जमानत विवाद इत्यादि से मुक्त व रहित है और विक्रेता को उक्त दुकान सम्पत्ति को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

जो कि विक्रेता को अपनी घरेलू आवश्यकता हेतु धन की अति तीव्र आवश्यकता है और विक्रेता के पास उक्त दुकान सम्पत्ति को विक्रय करने के अलावा अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं है जिससे की वह अपनी धन की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। इस कारण से विक्रेता उक्त दुकान सम्पत्ति को 2,50,000/- रुपये में विक्रय करने को तत्पर है और क्रेता उक्त दुकान सम्पत्ति को उक्त कीमत पर क्रय करने के लिए प्रतिज्ञा की है।

अतः यह विक्रय पत्र निम्न साक्ष्यांकन करता है :-

1. यह कि उपरोक्त प्रतिज्ञा के अनुपालन में एवं विक्रय मूल्य 2,50,000/-

[Handwritten signature]

विनीत कुमार



रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) के प्रतिफल स्वरूप जो विक्रेता द्वारा क्रेता से निम्नानुसार पूर्व में प्राप्त कर लिये गये है।

अ) मु0 20,000/- रुपये (बीस हजार रुपये मात्र) नकद पूर्व में दिनांक 30.09.2004

ब) मु0 30,000/- रुपये (तीस हजार रुपये मात्र) द्वारा बैंक संख्या 965062 दिनांक 01.10.2004, पंजाब नेशनल बैंक, पार्क रोड, देहरादून।

स) मु0 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) द्वारा बैंक संख्या 5298999 दिनांक 01.10.2004, कैनरा बैंक, सहारनपुर रोड, देहरादून।

द) मु0 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) द्वारा बैंक संख्या 2140220 दिनांक 01.10.2004, कैनरा बैंक, सहारनपुर रोड, देहरादून।

उपरोक्तानुसार विक्रय प्रतिफल की प्राप्ति विक्रेता को स्वीकार है और विक्रेता ने अपनी दुकान सम्पत्ति जिसका यथा सम्भव विवरण इस विक्रय पत्र के अन्त में दी गयी "सूची सम्पत्ति" में दिया गया है और जिसे आगे "विक्रीत सम्पत्ति" कहकर सम्बोधित किया गया है, क्रेता को इस विक्रय पत्र के माध्यम

[Handwritten signature]

विनायक कुमार



से सभी अधिकारों सहित बिना छत के अधिकार के हस्तान्तरित कर दी है। विक्रीत सम्पत्ति का मौके पर वास्तविक और रिक्त अध्यासन क्रेता को सौंप दिया गया है। आज से क्रेता विक्रीत सम्पत्ति पर विक्रेता के समतुल्य एकमात्र स्वामी एवं अध्यासी हो गया है और विक्रीत सम्पत्ति से विक्रेता अथवा उनके किसी हित प्रतिनिधि, सम्बन्धी आदि-आदि का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह विक्रीत सम्पत्ति को जिस प्रकार चाहे इस्तेमाल करे अथवा अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अन्तरित/हस्तान्तरित करे, उसका उपयोग, उपभोग करें, इसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि विक्रीत सम्पत्ति से सम्बन्धित केवल वही अधिकार विक्रेता द्वारा क्रेता को हस्तांतरित किए जा रहे हैं जो विक्रेता को उपरोक्त वर्णित विक्रय पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुए थे।

2. यह कि क्रेता विक्रीत सम्पत्ति का आग, बाढ़, भूकम्प, तोड़फोड़, दंगा व

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



कोषागार, देहरादून।

06183

आकाशीय विजली की यावत अपने खर्च पर बीमा कराएगा और बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि प्रमाणित करवाकर प्रत्येक वर्ष भट्ट कंस्ट्रक्शन कम्पनी, प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून को देगा।

3. यह कि क्रेता उक्त दुकान सम्पत्ति को व्यावसायिक एवं ऑफिस के उपयोग में इस्तेमाल करेगा। क्रेता उक्त दुकान सम्पत्ति का गोदाम व स्टोर के रूप में उपयोग नहीं करेगा।
4. यह कि क्रेता इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड देहरादून से अपना विद्युत कनेक्शन व मीटर स्वयं अपने नाम से अपने खर्च पर लेकर लगाएगा।
5. यह कि क्रेता उक्त दुकान सम्पत्ति पर कानून के तहत वैधानिक कार्य एवं व्यवसाय को ही करेगा तथा खतरनाक व विस्फोटक वस्तु आदि उक्त दुकान सम्पत्ति में नहीं रखेगा।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



19046

6. यह कि क्रेता उक्त दुकान सम्पत्ति में अपने खर्चे पर पुताई, मरम्मत, बिजली के रखरखाव आदि का कार्य करायेगा और उक्त दुकान सम्पत्ति को हमेशा अच्छे स्वरूप में रखेगा। जैसा कि विक्रय स्थानांतरण के समय अन्तरित की गयी है।
7. यह कि क्रेता उक्त दुकान सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का ऐसा परिवर्तन, परिवर्धन नहीं करेगा जिससे उक्त दुकान सम्पत्ति का वास्तविक स्वरूप बदले व उसके स्वरूप को नुकसान हो तथा संयुक्त दीवारों, छत को नुकसान पैदा हो। लेकिन क्रेता दुकान के भीतरी भाग में अपने इस्तेमाल के लिए कुछ भी परिवर्तन, परिवर्धन कर सकता है।
8. यह कि क्रेता उक्त दुकान सम्पत्ति में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे वातावरण प्रदूषित हो, व्यावसायिक स्थल दूषित हो तथा ध्वनि प्रदूषण हो।
9. यह कि क्रेता उक्त दुकान सम्पत्ति में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे

Handwritten signature

Handwritten signature and date 14/11/22



27 SEP 2004

m

A.V.G. (Cash)
Treasury, D. Dun.

19047

आसपास के दुकानदारों को व काम्पलैक्स की परिसीमा में व्यावधान उत्पन्न हो।

10. यह कि भट्ट कंसट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, देहरादून को अधिकार होगा कि उक्त दुकान सम्पत्ति से लगती हुई भूमि व उक्त दुकान सम्पत्ति की छत पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन, परिवर्धन व निर्माण करे। क्रेता को इसमें कोई भी आपत्ति व वाद विवाद करने वाद कारण उपलब्ध नहीं होगा। परन्तु भट्ट कंसट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, देहरादून, क्रेता के उक्त दुकान से सम्बन्धित अधिकारों में कोई हनन उत्पन्न नहीं करेगा।
11. यह कि भट्ट कंसट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, देहरादून को अधिकार होगा कि बिजली, पानी, सीवर आदि के कनेक्शन बिना किसी क्रेता के हस्तक्षेप के, व्यावधान उत्पन्न किए, वाद विवाद उत्पन्न हुए प्राप्त कर सके। इसमें क्रेता को कोई अधिकार नहीं होगा कि वह उक्त भट्ट कंसट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, देहरादून, के कार्यों पर रोक लगाये। क्रेता को अपनी दुकान की सीमा के अन्दर के अधिकार हैं।

m

विनोद कुमार



12. यह कि भट्ट कंसद्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, देहरादून, को उक्त दुकान सम्पत्ति की छत, बालकनी, पैराफिट वाल व दीवारों पर पूर्ण अधिकार होगा कि वह उसका इस्तेमाल अपनी सुविधानुसार करे अपने व्यावसायिक प्रचार प्रसार हेतु करे।
13. यह कि भट्ट कंसद्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, देहरादून, को अधिकार होगा कि उक्त दुकान सम्पत्ति के भाग को छोड़कर कॉम्प्लेक्स के रिक्त भाग को अपने किसी भी इस्तेमाल में लाये, किराये पर दे, क्रेता को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
14. यह कि उक्त दुकान सम्पत्ति को छोड़कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के प्रबन्धन का पूर्ण अधिकार भट्ट कंसद्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, देहरादून का होगा।
15. यह कि क्रेता उक्त दुकान का पंजीयन व स्टाम्प शुल्क स्वयं अदा करेगा।
16. यह कि विक्रेता क्रेता से निम्न प्रसंविदा करता है :-

- (1) यह कि विक्रेता का सूची में वर्णित सम्पत्ति पर स्वस्थ स्वामित्व है तथा उक्त सम्पत्ति पर कोई वाद विवाद इत्यादि किसी न्यायालय, कार्यालय में लंबित

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



नहीं है। उक्त भूमि सरकार द्वारा अधिगृहित नहीं की जा रही है।

- (2) यह कि विक्रीत सम्पत्ति हर प्रकार के भार, बन्धनों, कुर्की, रहन, जमानत, अधिग्रहण आदि की कार्यवाहियों, अनुबन्धों एवं वाद विवादों आदि-आदि से रहित है अर्थात् सूची में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन इत्यादि से मुक्त रूप में विक्रीत एवं हस्तान्तरित की जारी है। यदि भविष्य में विक्रीत सम्पत्ति की बाबत विक्रेता का स्वामित्व अधिकारों में किसी दोष अथवा उसके उक्त सम्पत्ति को विक्रय करने के अधिकारों के किसी दोष के कारण विक्रीत सम्पत्ति अथवा उसका कोई भाग क्रेता के स्वामित्व अधिकार से किसी भी प्रकार से कभी भी निकल जाये अथवा उसे इस कारण कोई हानि उठानी पड़े तो विक्रेता, क्रेता द्वारा उठायी गयी हानि की मय हर्जे-खर्चे के क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायी होगा।
- (3) यह कि विक्रीत सम्पत्ति की बाबत आज तक के समस्त बकाया कर, चार्जज व डिमाण्डस आदि की अदायगी का उत्तरदायित्व विक्रेता का होगा और

[Handwritten signature]

विनोद कुमार



आज के बाद वाजिब होने वाले समस्त कर, चार्ज व डिमाण्डस आदि की अदायगी की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।

- (4) यह कि यदि भविष्य में क्रेता को विक्रीत सम्पत्ति के स्वामित्व अधिकारों की पुष्टि के सम्बन्ध में विक्रेता से किसी दस्तावेज, लेखपत्र, शपथपत्र अथवा ब्यान आदि की आवश्यकता पड़े तो विक्रेता पूर्व सूचना मिलने पर एवं क्रेता के खर्च पर उक्त सभी कार्य करने के लिये तत्पर रहेंगे।
- (5) यह कि क्रेता को अधिकार होगा कि वह विक्रीत सम्पत्ति की बाबत राजस्व अभिलेखों व निकायों में विक्रेता का नाम खारिज कराकर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज कराये इसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- (6) यह कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में कोई लिखित अनुबन्ध नहीं है।
17. यह कि विक्रीत सम्पत्ति नगर निगम सीमा के अन्दर राजा रोड, परगना केन्द्रीय दून, जिला देहरादून में मुख्य गांधी मार्ग से 400 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है जहां पर जिलाधिकारी द्वारा भूमि का निर्धारित सर्किल रेट

[Handwritten signature]

विनोद कुमार



6,500/- रुपये प्रति वर्गमीटर है तथा व्यावसायिक किराया दर 110/- रुपये प्रति वर्गमीटर है। इस प्रकार विक्रीत सम्पत्ति का निर्मित भाग का मूल्यांकन (14.86 X 110 X 300) 4,90,706/- रुपये तथा भूमि का मूल्यांकन व्यावसायिक दर के अनुसार 96,590/- रुपये होता है इस प्रकार कुल मूल्यांकन मु0 5,87,296/- रुपये आती है, जिस पर नियमानुसार 5,88,000/- रुपये पर समुचित स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

18. यह कि क्रेता उत्तरांचल राज्य का स्थायी निवासी है। क्रेता वर्तमान विक्रय पत्र के माध्यम से केवल 14.86 वर्ग मीटर सम्पत्ति क्रय कर रहा है। इस प्रकार निम्न वर्णित सम्पत्ति (दुकान) क्रय करने पर उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 यथा संसोधित उत्तरांचल राज्य अध्यादेश संख्या 29 वर्ष 2003 की धारा 154 (4) (बी) का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

सूची सम्पत्ति

एक दुकान सम्पत्ति न0 22, भूतल पर स्थित 2 राजा रोड़, भट्ट शॉपिंग काम्पलेक्स देहरादून जिसकी नाप 10फुट X 16 फुट है। जिसका कुल क्षेत्रफल 160 वर्गफुट यानि 14.86 वर्गमीटर है। जिसकी सीमायें निम्न प्रकार है:-

पूरब में - सम्पत्ति डी0एन0 भट्ट सीमा पर नाप 10 फुट

M

विनायक कुमार



- पश्चिम में — कॉमन रास्ता सीमा पर नाप 10 फुट
उत्तर में — दुकान सम्पत्ति संख्या 21 जिसकी दीवार कॉमन है।
सीमा पर नाप 16 फुट
दक्षिण में — दुकान सम्पत्ति संख्या 23 जिसकी दीवार कॉमन है।
सीमा पर नाप 16 फुट

अतः आज यह विक्रय पत्र उपरोक्त लिखित दिनांक को स्थान देहरादून में पक्षकारों द्वारा निम्न साक्षीगण के समक्ष अंकित व निष्पादित कर दिया गया है ताकि सनद रहे और समय पर काम आये।

विनोद कुमार

[Signature]

हस्ताक्षर क्रेता

हस्ताक्षर विक्रेता

साक्षीगण:-

[Signature]

[Signature]

1. श्री सरदार लाल
पुत्र श्री हरदयाल
पिन 2458 रजिस्ट्रार महल
देहरादून

2. श्री देव प्रकाश उन्नेयल
पुत्र श्री अशोकानन्द उन्नेयल
12/4 ईस्ट II रेस्ट हाउस
देहरादून

रचियता श्री वी० के० सिंह, एडवोकेट जिनके कार्यालय में उक्त दस्तावेज टाईप किया गया।

[Signature] (14)
Advocate

नक्शा नजरा
दुकान सम्पत्ति न० 22, भूतल पर स्थित 2 राजा रोड़, भट्ट शॉपिंग काम्पलेक्स देहरादून
जिसकी नाप 10फुट X 16 फुट है। जिसका कुल क्षेत्रफल 160 वर्गफुट यानि 14.86
वर्गमीटर है।

क्रेता : विनोद कुमार वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मी राम वर्मा, नि० 259/1, गुरुरोड़, पटेलनगर,
नई बस्ती, देहरादून।

सम्पत्ति डी०एन० भट्ट
सीमा पर नाप 10 फुट

सीमा पर नाप 16 फुट

दकानहसंख्या 23 दीवार कॉमन है

सीमा पर नोप 10 फुट

(c) $\frac{1}{2}$ Rate of Depreciation
(d) $\frac{1}{2}$ Rate of Valuation
14. Value of land
15. Built up area of the Site

Ground Floor : 0212
First Floor :

ह0 विक्रेता

Note : While arriving at the approximate cost of the built up area, the rate of current market value of the land to cubical content of the building may be taken into consideration.

28/5
17/10/04 100

जिला नं 26
रजिस्ट्रार मुक्तार गढ़
स्टाम्प विकला, देहरादून।



विक्रता



क्रेता



गवाह



बही न. 1

जिल्द 1,337

पृष्ठ 428

ए.डी.फा.बुक 1

जिल्द 1416

पृष्ठ 231 से 246

में न.

5962

पर आज दिनांक 01/10/2004

में रजिस्ट्री की गई।

उप निबन्धक सदर 2 देहरादून



CROUN 1.0

NIC UTTARANCHAL